



उपायुक्त कार्यालय, रेवाड़ी
DEPUTY COMMISSIONER OFFICE, REWARI

966

आदेश उपायुक्त रेवाड़ी दिनांक 24.04.2020

श्री सतबीर सिंह (विकलांग कर्मचारी), सहायक वासल वाकी नवीस, कार्यालय उपमण्डल अधिकारी (ना0), रेवाड़ी को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरान्त दिनांक 30.04.2020 को दोपहर बाद सेवानिवृत्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पू0 क्रमांक:

1-3 /डी0आर0ए0

दिनांक: 27-04-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, चण्डीगढ़।
2. आयुक्त, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम।
3. उप-मण्डल अधिकारी (ना0), रेवाड़ी को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 136/बी0सी0 दिनांक 22.04.2020 के संदर्भ में हिदायत की जाती है कि उपरोक्त कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने उपरान्त पालना रिपोर्ट इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

कृते: उपायुक्त रेवाड़ी।

27/4/20